

उ.सं. 138/2019

28.06.2021 पत्रावली पेश हुई जिला अधिवक्ता  
संस्था भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य  
स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली  
अधिवक्ता कार्यवाही के लिये दिनांक  
06-09-2021 को पेश हो।

जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा

06.09.2021 पत्रावली पेश हुई। धार्मी अनुपस्थित। पत्रावली  
का परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण जाहिर  
आया कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन  
अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है जिससे  
सर्व में उल्लेख वाद कारण ही समाप्त हो  
गया है। अतः धार्मी द्वारा प्रस्तुत धार्मीना  
यत्र आवल प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानांतरण  
को अस्वीकार किया जाता है। अधिनस्थ  
न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2013 हुनवान  
लाडूलाल बनाम मिश्रीलाल में सुनवाई करने  
हेतु वर्तमान में परस्थापित पीठासीन अधिकारी  
जहाजपुर को निर्देशित / आदेशित किया जाता है।  
प्रकरण नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा